

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 165/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

रामकुमार प्रसाद ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

वासुदेव महतो वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

13-12-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 16.10.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा उस पर कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- औरा, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह

खाता नं0- 224, प्लॉट नं0- 2079, रकबा- 8 डी0

चौहद्दी : उ0- सड़क जी0टी0रोड, द0- मानकी साव, पू0- मकान खेमन मियाँ, प0- पाचु साव

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

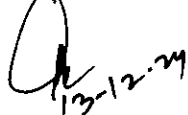
प्रथम पक्ष के अनुसार विवादग्रस्त भूमि उनकी माता देवकी देवी को केवाला सं0- 9427 दिनांक 14.07.1982 से हासिल है। प्रथम पक्ष आगे बताते हैं कि केवाला हासिल होने के उपरान्त अंचल कार्यालय बगोदर से दाखिल-खारिज करवा कर वे साल-दर-साल राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि की जमाबन्दी उनकी माता देवकी देवी के नाम से अंचल कार्यालय के मांग पंजी-II के पृष्ठ सं0- 105 भोलुम नं0- 05 पर दर्ज है। विपक्षीगण उक्त भूमि पर दिनांक 28.09.2024 को मकान बनाना आरंभ कर दिए जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में केवाला संख्या- 4427 की छायाप्रति, एक ऑफलाइन रसीद की छायाप्रति, चार online लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के पिता समेत सात व्यक्तियों ने उक्त जमीन को खरीदा था तथा अपने-अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा में थे। प्रथम पक्ष के पिता के द्वारा स्वत्व वाद संख्या-

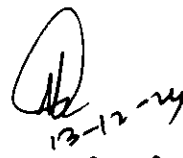
131/2017 में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित भूमि पर उनका हक मात्र $1\frac{1}{2}$ डी0 पर है फिर भी 8 डी0 जमीन पर मुकदमा लाए हैं। इसी मामले को लेकर व्यवहार न्यायालय, गिरिडीह में स्वत्व वाद 131/2017 चल रहा है। इसी विवादग्रस्त भूमि पर पूर्व में भी प्रथम पक्ष द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत वाद ला चुके हैं। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में T.S. 131/2017 में आवेदन की प्रति, T.S. 131/2017 में w/s की छायाप्रति, original suit 131/2017 में दाखिल जवाब की छायाप्रति, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश की छायाप्रति, केवाला दस्तावेज 157 की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, अंचल अधिकारी बगोदर का मापी रिपोर्ट, भू-अर्जन कार्यालय द्वारा पारित एवार्ड की प्रति इत्यादि दाखिल करते हैं।

उपरोक्त कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर उभय पक्ष के मध्य सक्षम न्यायालय में appropriate suit दायर है अतः भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत किसी पक्ष के हित में अथवा विरुद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष Title suit 131/2017 के फलाफल की प्रतीक्षा करें तथा तब तक उक्त भूमि पर परिशांति बनाए रखेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया